

SHRI BHUPESH GUPTA: I have just read out the three reports . . .

(Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, you cannot read them.

SHRI BHUPESH GUPTA: Let him have a look at it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not now. You may send it to him. Mr Rajnarain.

THE BUDGET (GENERAL), 1969-70—GENERAL DISCUSSION—Contd.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : माननीया, मैं वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत जो चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि का पहला बजट है उस पर कुछ कहने के पूर्व उन्हीं के तर्क को प्रस्तुत करना चाहूंगा। उन्होंने खुद अपने बजट भाषण में यह लिखा है कि वे तो केवल सुवधार हैं और पंचवर्षीय आयोजना का जो नाटक या नौटंकी है, उस नाटक का अभी आरम्भ होगा। मगर उस नाटक के खुलने के पहले जैसे आरम्भ होता है किसी नाटक में कि सुवधार आ करके परदे को खोल कर दर्शकों की अभिरुचि को बढ़ाता है, उसी तरह से यह उनका बजट भाषण माननीय सदस्यों की अभिरुचि को बढ़ाने वाला है। वास्तव में बजट को देख कर मेरी अभिरुचि नहीं बढ़ी। मैं ऐसी पंचवर्षीय आयोजना की नौटंकी या नाटक को देखना पसन्द ही नहीं करता जिस में निरन्तर, लगातार गरीबी बढ़ती जाती हो, लगातार बेकारी बढ़ती जाती हो, लगातार समाज के निम्नतम स्तर के जो लोग हैं उन पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा हो, निम्नमध्यम वर्ग की जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा हो और उच्चतम स्तर के जो लोग हैं उन पर टैक्स का बोझ पहले से कम हो रहा हो। माननीया, हमारी स्वेच्छा पर बहुत ही कम समय है। मैं इसके एक एक

आंकड़े को लेकर चलना चाहता था, मगर मैं अपने इस राइट को प्रिजर्व करता हूँ कल के लिये जब हमको एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलना पड़ेगा।

इतनी बात अगर मैं बिना वहे आगे बढ़ तो मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा कि इस समय वास्तव में इस सरकार के मंत्रिगण जो हैं उनको एक जगह बैठ कर और स्वतः अपने चेहरे पर कालिख पोत कर के इस सरकार को भंग कर देना चाहिये क्योंकि जिस सरकार के डिपार्टमेंट के कागजात बराबर खुलते रहते हैं, दूसरों के पास जाते रहते हैं और बाजार में खुले आम बिकी होते हैं, उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर उस सरकार में तनिक भी सयादा और नैतिकता का ज्ञान है तो।

श्री भूपेश जी ने बहुत ही सही बात कही थी। माइन्पूट्स आफ 41 मीटिंग आफ द कम्पनी ला बोर्ड के बारे में उन्होंने कहा, जिसमें दो रपट के बारे में चर्चा है। एक जांच की रपट है विजयजी राव काटन मिल्स लिमिटेड की और यह दिसम्बर, 1967 की है। एक दूसरी जांच रपट है इन्स्पेक्शन की। बुक्स आफ मेसर्स पिलानी इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन की 31 अगस्त से 8 दिसम्बर, 1967 तक जो जांच हुई है उसकी रपट है। तीसरी जांच रपट है जियाजी राव काटन मिल्स लिमिटेड की। 27-9-67 से 7-10-67 तक जो जांच हुई है उसकी रपट है। उसकी बाकायदा ऑफिशियल कापी भूपेश गुप्त जी के पास आई है। सरकार उससे चाहे कितना इन्कार करना चाहे, इन्कार हो नहीं सकती। इसलिये अब चाहे आप भूपेश जी से उसे टेबिल पर रखवायें, चाहे सरकार को आप मजबूर करें कि सरकार उसे टेबिल पर रखे ताकि हम लोग उसकी समझ कर अच्छी तरह से पढ़ें।

अग्रे माननीया, मूल विषय पर आने के पूर्व मुझे यह कहना है कि मुझे श्री टी० एन० सिंह को सुनने का मौका प्राप्त हुआ। मैं श्री टी० एन० सिंह की बहुत ही इज्जत करता हूँ क्योंकि हम लोग जब विद्यार्थी थे तब भी हम लोग उनके लेक्चर राष्ट्रीय आन्दोलन पर सुना करते थे। 17 मार्च, 1967 को इंडियन ट्रस्टीशिप बिल का मस्विदा लोक सभा के सेक्रेटेरिएट को डा० राम मनोहर लोहिया ने दिया। 25 मार्च को लोक सभा के सेक्रेटरी ने लोहिया जी को उत्तर दिया कि आपके बिल को हम पॉ गये हैं। 12 जून को श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद साहब का ख़त मिला कि प्रेसिडेंट ने डा० लोहिया को इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान नहीं की है, इसलिये नहीं हो सकता है। 24 जून, 1967 को डा० लोहिया ने पुनः लोक सभा के सेक्रेटरी को पत्र लिखा और फिर फ़ख़रुद्दीन अली अहमद साहब को लिखा और राष्ट्रपति जी को लिखा और उन्होंने यह कहा कि यह मनी बिल नहीं है। फिर राष्ट्रपति ने 3 अगस्त, 1967 को और फ़ख़रुद्दीन साहब ने 1 अगस्त, 1967 को पत्र लिख कर लोहिया साहब को सूचित किया कि आपका विषय अभी विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो सरकार या जिस सरकार के मंत्रिगण गांधी जी का नाम लेते हैं, उन्होंने ऐसे विधेयक पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। गांधी जी की भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिये एक विधेयक डा० लोहिया ने प्रस्तुत किया, जिस विधेयक की कापी श्री शंकर राव देव ने पूरे अच्छे तरीके से उसका अंग्रेजी ट्रांस्लेशन कर के इसमें छाप दी है। इस विधेयक में गांधी जी की भावनाएँ मूर्तिमान हैं कि किस तरीके से अहिंसा के ढंग पर आज का वर्तमान पूँजीवाद समाप्त हो कर समाजवाद में परिणत किया जा सकता है। 3.4, 3.5 क्लोज़ इस बिल के हैं जिन में डा० राम मनोहर लोहिया ने अच्छी तरह से इसका विवेचन किया है।

उनका कहना है कि दस लाख रुपये से ज्यादा वाले उद्योगों, प्लांटों, बँकों, व्यवसायों, परिवहनों इत्यादि को स्वेच्छा से न्यास निगमों (ट्रस्ट कारपोरेशन) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव था। यह व्यवस्था की गई थी कि यदि शेयरदार लोग न्यासी बनने के लिये तैयार हो गये और मजदूरों कर्मचारियों को अपने साझेदार के रूप में स्वीकार कर लिया तो सरकार सम्बन्धित निकाय (कंसर्न) का काम चलाने, प्रबन्ध करने के लिये न्यासियों को एक पंचायत बन दे। शेयर होल्डर और कर्मचारी अलग अलग 5 न्यासियों का चुनाव करेंगे और केन्द्र व राज्य सरकार, स्थानीय म्युनिसिपल कमिटी मिल कर उपभोक्ताओं और समाज के अन्य वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये 5 न्यासियों की नियुक्ति करेंगी। इस समय जो कंसर्न का मैनेजिंग एजेंट होगा वही न्यास निगम का प्रबन्ध न्यासी हो जायेगा।

इस विधेयक में गांधी जी की न्यासी (ट्रस्टीशिप) की परिकल्पना को साकार करने के लिये विस्तार से व्यवस्था की गयी थी। इसमें यह भी व्यवस्था की गई थी...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajnarain, I have *jid you in my Chamber that you have been give', seven m ten minutes.

श्री राजनारायण : हमको आपने 15 मिनट जो दिये हैं...

THE DEPUTY CHAIRMAN: 1 5 UT;T7 PT^Y f^Jr ^ | You cannot take 15 minutes. I told you that you will have 7 to 10 minutes. Please wind up.

श्री राजनारायण... मध्य निर्वाह निधि आदि काटने के बाद लाभ का अंश वित्त मंत्रालय के पास जमा कर दिया जायगा, वित्त मंत्रालय वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक विभिन्न राज्यों को उपयोग के लिये इन धन को वितरित करेगा।" मोरारजी भाई गांधी जी का नाम लेते हैं बार-बार। इतने बढ़िया विधायक का मस्तिष्क पेश है जो सारी कंपनियों को, सारे उद्योगों को, सारी इन्स्टीट्यूटों को समाज और जनता के हाथ में सौंपने की व्यवस्था करता है। फखरुद्दीन साहब कहते हैं कि वह विचारार्थी है, आज तक उसपर विचार नहीं हुआ। इसलिए समझ लिया जाना चाहिए कि इस सरकार के सम्मुख गांधी जी का नाम लेना या समाजवाद का नाम लेना स्वतः अपनी हंसी करना है।

माननीया, मैं बहुत ही अनुगृहीत हूँ आपको और चैयरमैन साहब का कि उन्होंने हमको मौका दिया और फखरुद्दीन अली अहमद साहब का भी अनुगृहीत हूँ कि उन्होंने चैयर को सूचित किया था कि जब मैं सदन में होऊँ तब राजनारायण बोलें। मैं उस अवसर का उपयोग कर रहा हूँ।

माननीया, हमारे मित्र चन्द्र शेखर जी, कमी कमी हमारे मित्र लोकनाथ जी, कमी कमी भूपेश जी, बांठ बिहारी दास जी, सब लोगों ने जो लाइसेंसिंग कमेटी है उस लाइसेंसिंग कमेटी के द्वारा उद्योगों को लाइसेंस देते हैं कि किस तरह से अनियमित है, किस तरह से प्राथमिकता बरती जाती है उसके सम्बन्ध में चर्चा की है, हमने भी कई समय मीकिंग-मीके पर उसकी चर्चा की है, मगर मैं बहुत ही दुःख के साथ और खोम के साथ कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से यह लाइसेंसिंग कमेटी एक धन-कमाऊ कमेटी के रूप में काम कर रही है। किस तरह से? हमारे पास इन्फेडरल बैंक हैं, पूरा पोया है। एक मंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम श्याम लाल बिज्ज है,

वह पहली तरीका को पी० एन० सिंह के यहाँ खोज कर जाते हैं। हमको कुछ मंत्रियों ने कहा कि इनका सम्बन्ध कैसे हुआ। रसायन विज्ञान विभाग में, ये सरकारी कर्मचारी हैं, ये पहले प्लानिंग कमिशन नहीं दिल्ली में सोनिया रिसर्च आर्गैनेजेशन थे, जब ये दिल्ली आते थे तो इनके यहाँ ठहरते थे। श्याम लाल बिज्ज, जो भानु प्रकाश जी, डिप्टी उद्योग मंत्री के पी० एन० सिंह के फाइल से खोजे हैं और उनके घर गये हैं। वे घर पर पी० एन० सिंह को नहीं पाए हैं। फिर कर्नल आई० पी० सिंह की सहायता पायी थी 1-3-69 को, वहाँ पर वह गए थे वे साहब। उनसे उन्होंने कहा कि पी० एन० सिंह यहाँ अभी नहीं हैं, उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा जरूरी काम है, हम उनके घर पर टेलीफोन नम्बर नोट करके आए हैं, उसी नम्बर पर आकर वे हमसे बात कर लें। पी० एन० सिंह गए तो उन्होंने उन को सूचित किया, वह आकर घर गए हैं, जो नम्बर लिखा था उस नम्बर पर फोन किया, वह नम्बर था डिप्टी मिनिस्टर भानु प्रकाश जी का। उसी नम्बर पर फोन हुआ, वहाँ पर श्याम लाल जी बिज्ज मिले। श्यामलाल जब उनके पास आए हैं तो उसकी कुछ बातें टेप रिकार्ड हुई हैं, जिसका कुछ पोर्शन हमने चेम्बर में माननीय चैयरमैन साहब को सुनाया, बहुत से मित्रों को भी वह पोर्शन सुनाया, जैसे लोकनाथ मिश्र हैं, हम समझते हैं कि और दूसरे लोगों ने भी सुना है।

SHRI A. P. CHATTERJEE (Wept Bengal): Why not play it here and now? Let us hear it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is an important thing. We would like to know it. Has he got the tape record?

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): But a Committee of Ibis House should go into the entire matter or it should be left to the C.B.J. It is a serious allegation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Lei him finish his speech.

श्री राजनारायण : माननीय, टेप-रिकार्ड चेयरमैन साहब की बातों में दन्द है, जब तक चेयर परमिट न करे तब तक उन रिकार्ड को मैं कैसे लाऊंगा, लेकिन उस टेप-रिकार्ड को सुन लिया जाय तो मैं समझता हूँ कि सारी चीजें साफ हो जाती हैं। पी० ए० सभा खोज कर जाता है और जाकर कहता है कि पी० ए० सिंह तुम्हारी स्कौन तो पहले मंजूर हो गई थी, तुम्हारा भोजन सबसे अच्छा था, मगर अब मनी मीटर आ गया और मनी मीटर आ जाने से तुम जानते हो कि जो तीन दिन पहले तुम्हारी स्कौन अच्छी थी अब वह नीचे चली गई और लक्ष्मण इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की स्कौम सर्वोपरि हो गई, तुम कोई व्यवस्था करो तो तीन मार्च को बैठक होने वाली है लाइसेंसिंग कमेटी की उसमें मामला बन सकता है। इन लोगों ने बाद में यह कहा कि आप कहते हो हमारी स्कौम रिजेक्ट हो चुकी है तब कैसे होगा। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि थर्ड डिवीजन के पात्र भरती हो जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन वाले रह जाते हैं, यह सब मनी मीटर है। उसमें उन्होंने सुब्रह्मण्यम का नाम लिखा है, उसमें उन्होंने पी० सी० गर्ग का नाम लिखा है। मुझे जानकारी कराई गई है कि यह सुब्रह्मण्यम साहब आसाम से आए हैं, पहले आसाम के सेक्रेटरी में। जब फखरुद्दीन अली साहब आसाम में मंत्री थे तब ये भी वहां थे ये पहले आ गए, उसके बाद फखरुद्दीन अली साहब यहां पर आए। देखा जाय, अब उसमें से जो मजबूत विषय निकलता है....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your time is up. You must wind up. I have given you fifteen minutes.

श्री राजनारायण : माननीय, आप हमको बीच में न टोकें। हमको आप 5-6 मिनट दे दीजिए।

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): He is making such serious allegations. He should be given time (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajnarain has asked for fifteen minutes. He was allowed only seven minutes. If he has mentioned something other than what he wanted to, it is not the fault of the Chair. He should have used all the fifteen minutes.

MINISTRY OF INDUSTRY, INTERNAL

श्री राजनारायण : माननीय, देखिए 12 तारीख को हमने चेयरमैन साहब को यह चिट्ठी लिखी है —

“माननीय चेयरमैन साहब, राज्य सभा में 10 तारीख को हमने बाराणसी में स्कूटर बनाने के कारखाने के सम्बन्ध में पूरक प्रश्न पूछा था, उद्योग मंत्री ने मौलमोल उत्तर दिया था। वास्तव में इन प्रश्नों में जो पेश है वह इनसे से ही खुल जाएगा कि जब 3-2-69 को पी० ए० सिंह का आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया तो 22-2-69 को उनके स्कूटर का प्रदर्शन क्यों हुआ।”

माननीय, यह पूरी की पूरी जो सेक्रेटरीयट की फाइल मिली थी यह फाइल तीन हजार देकर मिली है।

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी (पंजाब): तीन हजार किसने दिया?

श्री राजनारायण : जिसको स्कूटर का कारखाना खोलना था, जिसने ओय लेकर, कसम खाकर बताया है कि 600 हमने दिया है और 2400 बताया रह गया है। माननीय यह पहली मार्च की प्रोसेडिंग है —

TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, 1st March, 1969

SUBJECT:—Licensing of additional capacity for the manufacture of scooters:

The following four schemes for the manufacture of scooters were